36 अ-11

CSSD

Virendra Kumar
Advocate
Ch. No......

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०), मुरादाबाद।

विवाद सं०- 205/11 (C.A. सं०- 39/2010)

नवीन कुमार — vs — उमेश कुमार आदि

नक़ल — डिक्री

प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक............ 36 / 26-10-11

दाखिल का दिनांक............ 15-11-11

नकल देने का दिनांक............

नकल करने वाले के हस्ताक्षर............ 17-11-11

सिविल प्रo सo १७—म

३९क
―――
६८क
  1

आदेश के विरुद्ध अपील में डिगरी

(आर्डर 41, नियम 37—आर्डर 46, नियम 9)

दीवानी न्यायालय जिला स्पे० जज (ई०सी० एक्ट) मुरादाबाद की डिगरी

सिविल अपील संख्या 39 सन 2010

प्रस्तुत होने का दिनांक 5 मास 5 सन 2010 अपीलार्थी

श्री नवीन कुमार आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व० श्री रामकृपाल निवासी आंतरीय स्वन सम्भली दरवाजा, मुरादाबाद — वादी/अपीलार्थी

प्रति

प्रत्यर्थी

1- श्री ओमेश कुमार आयु 57 वर्ष]
2- श्री अवधेश कुमार आयु 63 वर्ष] पुत्रगण स्व० श्री रामकृष्ण कपूर
3- श्री सुरेश कुमार आयु 55 वर्ष]

प्रतिवादी

4- श्री सजीव कुमार आयु 48 वर्ष]
5- श्री पंकज कुमार आयु 46 वर्ष] पुत्रगण स्व० रामकृपाल

समस्त निवासीगण सम्भली दरवाजा, मुरादाबाद

टिप्पणी—जो पते के ऊपर लिखे हैं वे उभय पक्ष के लिए

टिप्पणी—जो पते के ऊपर लिखे हैं वे उभय पक्ष के लिए

अपील का निर्धारित मूल्य 100000/-

सन् 19 [illegible] के दिवस को दिनांकित डिगरी संख्या के

दिवस

अपील न करने के कारण

1- निम्न आदालत का उक्त निर्णय न्याय व नियम के विरुद्ध

शेष पृष्ठ 4 पर

सन् 2011 के 9 मास के 7 दिवस को इस

न्यायालय स्पे० जज (ई०सी०एक्ट) मुरादाबाद श्री राम मोहन आर्य

के समक्ष

वकील अपीलकर्ता श्री गोपाल प्रसाद शर्मा एडवोकेट

तथा

श्री एस. के. ... एड वकील प्रतिवादी

की उपस्थिति में इस अपील की सुनवाई के पश्चात् Case called out. Parties are present with their learned counsels 37 ka Compromise filed by parties identified by their learned counsel 37 ka Compromise is allowed, case is decided in terms of Compromise 37 ka. Compromise shall form part decree. ... यह डिगरी और आदेश हुआ कि अपीलार्थ

विभाग को सन् 2011 के 9 मास के 7 दिवस को दिनांकित

डिगरी

और यह भी आदेश हुआ कि X इस न्यायालय के खर्चे के संबंध में, जिसका कि भार उनके ऊपर पड़ा, देंगे।

और यह भी आदेश हुआ कि X अधीनस्थ विभाग के खर्चे के संबंध में, जिसका कि भार उनके ऊपर पड़ा, देंगे।

Special Judge (E.C. Act)
Addl Distt. & Sess. Judge
Moradabad. (U.P.)

21/9/2011

न्यायालय श्री स्पेशल जज महोदय मुरादाबाद

सिविल अपील सं0 39/2011

श्री नवीन कुमार

बनाम

श्री उमेश कुमार आदि

श्रीमन्,

उपरोक्त अपील में उभय पक्षो में समझौता हो गया है। सभी पक्ष यह स्वीकार करते है। कि प्रश्नगत सम्पत्ति में वादी अपीलार्थी नवीन कुमार व प्रत्यर्थीगण उमेश कुमार, अवधेश कुमार, सुरेश कुमार, संजीव कुमार व पंकज कुमार का 1/6-1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 भाग है। स्व0 श्री रामकृपाल व स्व0 श्री राम बहादुर की लड़कियो ने प्रश्नगत सम्पत्ति मे कोई भाग लेना स्वीकार नही किया और इसी आशय का प्रतिवादपत्र उन्होने इस अपील में प्रस्तुत किया है ऐसी दशा मे उन्हें इस समझौते से मुक्त किया जाता है।

सविनय प्रार्थना है कि प्रस्तुत अपील इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में निर्णीत किये जाने का आदेश किया जाये और इस समझौते को डिक्री तथा निर्णय का अंश बनाये जाने का आदेश किया जाये। उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें।

प्रार्थीगण

श्री उमेश कुमार
-- प्रत्यर्थी सं0-1

श्री नवीन कुमार
- अपीलार्थी

द्वारा- रविन्द्र कुमार गुप्ता एडवोकेट

द्वारा- गोपाल मोहन श्रोत्रिय एडवोकेट

श्री अवधेश कुमार आदि
- प्रत्यर्थीगण

द्वारा-
सुधीर कुमार धवन एडवोकेट

उमेश कुमार

अवधेश कुमार

Identified by

Advocate

Identified

G. M. Shastri

7/9/2011

(३)

इस अपील में लगाये गये खर्चों का स्मरण-पत्र

अपीलकर्ता की ओर से—		प्रतिवादी की ओर से—	
अधीनस्थ विभाग में—	३६८३—८०	अधीनस्थ विभाग में—	×/×
इस न्यायालय में—	२३२१—०७,	इस न्यायालय में—	८१८—०७

महानिबंधक
न्यायालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
मुरादाबाद
14/9/2011

अपीलकर्ता के वकील के हस्ताक्षर
दैत्री गोपाल मोहन श्रोत्रिय

प्रतिवादी के वकील के हस्ताक्षर

पी० एस० यू० पी० (आर० आर०)—07 उच्च न्यायालय—3-7-07—1,00,000 फार्म।

Photostate by Tanir Ahmad
Comp. by - Tanir Ahmad
CA - 350

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक,
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद
15/9/2011

तथ्यों व वास्तविकता के विपरीत पारित आदेश है।

2. निम्न न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में उन अधिकारों का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नहीं।

3. निम्न न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में पूर्णतया मनमाना ढंग अपनाया है।

4. निम्न न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करते समय सी० पी० सी० के आदेश 15 नियम का अवलोकन न करने की घोर त्रुटि/ इललीगेलिटी की है।

5- निम्न न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्तुत वाद में कोई विवाद्य बिन्दु, आवश्यक पक्षों को सम्मिलित न करने के सम्बन्ध में, निर्मित नहीं हुआ था न इस सम्बन्ध में कोई प्लीडिंग ही पत्रावली पर थी, परन्तु निम्न न्यायालय ने बिना प्लीडिंग और बिना विवाद्य बिन्दु के इस सम्बन्ध में अपना पारित करके घोर त्रुटि तथा इललीगेलिटी की है।

6- निम्न न्यायालय ने गाटा सं० 2081/2 क्षेत्रफल 0.201 व गाटा सं० 281 के रास्ता होने के सम्बन्ध में जो कथन अंकित किया है वह पूर्णतया तथ्यों व साक्ष्य के परे निर्णय है।

7- उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रस्तुत विवादित पत्र की प्रमाणित प्रति लिपि की खतौनी प्रति से यह स्पष्ट है कि, गाटा सं० 281 का रास्ता कदापि भी सार्वजनिक रास्ता नहीं है बल्कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त सम्पत्ति है और इस सम्बन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा सार्वजनिक रास्ते का उल्लेख नहीं किया गया।

8- निम्न न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादी पक्ष प्रश्नगत सम्पत्ति में अपना अपना 1/8-1/8 भाग होने का दावा करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाजन के सम्बन्ध में पारित कोई भी डिक्री केवल उस वाद के पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होती है। इस विधिक तथ्य की ओर निम्न न्यायालय ने ध्यान न देकर पूर्णतया इललीगेलिटी की है।

9- निम्न न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय सम्बन्धित अधिनियमों के प्राविधानों का अवलोकन न करके पूर्णतया इललीगेलिटी की है।

10- निम्न न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सही रूप से न तौलने की त्रुटि तथा इललीगेलिटी की है तथा अपने क्षेत्राधिकार के परे जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है।

11- पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद

63
15/9/23

न्यायालय सेशन जज महोदय
मुरादाबाद।

न्यायालय सि० जज (सि०डि०) मुरादाबाद।

O A N. 39/2010

नवीन कुमार V/S सुमेश कुमार

नकल प्रतिवाद पत्र

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20 Rs. COURT FEE २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20 Rs. COURT FEE २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20 Rs. COURT FEE २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20 Rs. COURT FEE २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

63

...वेदन पत्र संख्या व दिनांक ______ 19 SEP 2023

...नोटिस का दिनांक 19 SEP 2023

...नकल देने का दिनांक 19 SEP 2023

...जारी करने वाले के हस्ताक्षर ______

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
सत्यमेव जयते
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

न्यायालय श्री स्पेशल जज महोदय मुरादाबाद

सिविल अपील सं0 39/2010

श्री नवीन कुमार बनाम श्री उमेश कुमार आदि

<u>प्रतिवादपत्र ओर से प्रतिवादी सं0- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14</u>

1- वादपत्र की धारा 1 लगायत 15 जिस प्रकार उल्लिखित है स्वीकार नहीं है।

अन्य आपत्तियां

1- वादी को कदापि कोई कारण अथवा अवसर प्रस्तुत वाद हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करने हेतु उत्पन्न नहीं हुआ वादी का उनके वाद पत्र वर्णित इसके विरुद्ध समस्त कथन मिथ्या है।

2- वादी का उनके वाद पत्र उल्लिखित यह कथन सही है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामी हम प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 श्री राम बहादुर तथा स्व0 श्रीराम कृपाल थे। और उनके देहान्त के पश्चात उनकी छोड़ी सम्पत्तियों के सम्बंध में उपरोक्त दोनो पूर्वजो श्री राम बहादुर व श्री राम कृपाल के उत्तराधिकारियो के मध्य मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति में हम प्रतिवादीगण ने कोई भाग लेना स्वीकार नहीं किया और प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामी केवल वादी तथा प्रतिवादीगण 1 ता 5 बराबर बराबर भाग में हुये और प्रत्येक का प्रश्नगत सम्पत्ति में 1/6 भाग है।

3- जब हम प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत सम्पत्ति में कोई भाग लिया ही नहीं तब हमें प्रस्तुत वाद में आकरण ही पक्षकार बनाया गया है।

4- प्रस्तुत वाद हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध मेन्टेनेबिल नहीं है।

5- उपरोक्त कारणों से प्रस्तुत वाद हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध खण्डित

-2 पर

Sameer Rastogi
Power of Attorny
Holder For defend
6 to 14

Adv.

५.५ ग
२

॥2॥

किये जाने के योग्य है।

Sameer Rastogi

मैं समीर रस्तोगी पुत्र श्री नवीन रस्तोगी निवासी सम्भली गेट मुरादाबाद मुख्तारेखास मिनजानिब प्रतिवादीगण 6 ता 14 इस प्रतिवादपत्र की धारा 1 से 5 तक के विवरण को अपनी व्यक्तिगत जानकारी व प्रतिवादीगण 6 ता 14 के निर्देशानुसार सच व सही होना प्रमाणित करता हूँ।

श्रीमति आर्दशा आदि
-प्रतिवादीगण
6 ता 14

मुरादाबाद मे आज दि05-7-2011 को प्रमाणित किया गया।

Sameer Rastogi

द्वारा-
सुधीर कुमार
P.S. Kumar
Advocate
5-7-11

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

Photo Stat Bdg. - Tom
Compared. Bdg. - महेश कुमार
W.A. 200/-

प्रतिलिपि
Rajeev 19.9.2023
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद

65
15/9/23

न्यायालय जिला जज महोदय मुरादाबाद

न्यायालय सि० जज (सि०डि०) मुरादाबाद

E.A.N. 39/2010

नवीन कुमार vs उमेश कुमार

नकल आवेदन पत्र

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

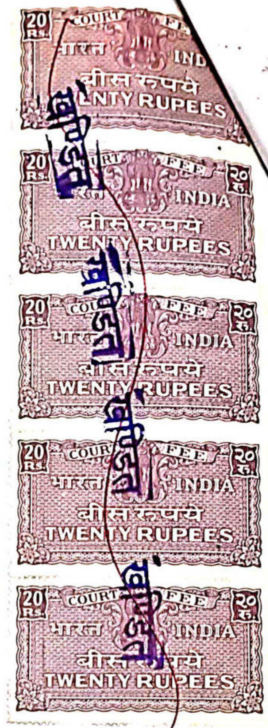

64
TS/09/23

...पत्र प्राप्त व दिनांक.........
...टिस का दिनांक 19 SEP 2023
...देने का दिनांक 19 SEP 2023
...करने वाले के हस्ताक्षर

5 CA 2100/-

DISTT. COURT
UTTAR PRADESH
IM
AFFIDAVIT 2011
058716 8

न्यायालय श्री स्पेशल जजमेन्ट्स मुरादाबाद

सिविल अपील सं0 39/2010

श्री नवीन कुमार बनाम श्री ओमप्रकाश कुमार आदि

शपथपत्र ओर से समीर रस्तोगी पुत्र श्री नवीन रस्तोगी, निवासी कम्पनीबाग मुरादाबाद।

मैं शपथ कर्ता शपथ लेकर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1- यह कि शपथ कर्ता प्रतिवादी सं0-6 ता 14 का मुख्तारेखास है और प्रतिवादी सं0-6 ता 14 द्वारा घोषित किये गये मुख्तारेखास की फोटो कापी इस शपथ पत्र का एनेक्चर -1 है और मूल शपथ कर्ता के पास है। शपथ कर्ता उपरोक्त नाम व पते का निवासी है और निम्नलिखित कथ्यों से भली भाँति परिचित है।

2- यह कि प्रतिवाद पत्र का पैरा 1 से [illegible] का समस्त विवरण शपथ कर्ता की व्यक्तिगत जानकारी में सच सच व सही है।

3- यह कि शपथपत्र का पैरा नं0 1 व 2 का विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सच सच व सही है, कुछ असत्य नहीं है न कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे। शपथ पत्र स्थान मुरादाबाद में दिनांक 5-7-2011 को प्रमाणित किया गया।

Sameer Rastogi

शपथ कर्ता

Sameer Rastogi

शपथ कर्ता

Photo Stat By - Ten
Comp/Prof By - महेश कुमार
Ltd 300/-

Solemnly affirmed before me on 5/7/11
by Sameer Rastogi
the deponent who has been identified by Sri S. K. Dhawan Adv.
I have satisfied my self after Examining the deponent that under stood the contents of the Affidavit and the same has been read over and Explained by me.

OATH COMMISSIONER
DIST. MORADABAD
5/7/11

Identified by
S. K. Dhawan Adv.
(S. K. Dhawan)
Advocate
5/7/11

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
सत्यमेव जयते
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

सत्यापित
116
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद।
19.09.2023

Annexure-1

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

₹. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

25 AUG 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 478042

मुख्तारनामा ख़ास

हम कि 1. श्रीमति आदर्श पत्नी श्री वेद भूषण पुत्री स्व0 रामकृपाल जी निवासिनी मौ0 ठेर सम्भल जिला मुरादाबाद 2. श्रीमति प्रभा पत्नी श्री कृष्ण गोपाल जी पुत्री स्व0 राम कृपाल जी निवासिनी विसौली गेट चन्दौसी चन्दौसी जिला मुरादाबाद 3. श्रीमति वीना पत्नी श्री प्रदीप रस्तौगी पुत्री स्व0 रामकृपाल जी निवासिनी 160, साकेत मेरठ 4. श्रीमति मंजू पत्नी श्री अनिल भल्ला पुत्री स्व0 रामकृपाल जी निवासिनी 7/85 डबल स्टोरी, तिलक नगर नई दिल्ली के है जो कि हम मुकिरान के पिता स्व0 रामकृपाल जी मुरादाबाद मे ही स्थित अन्य सम्पत्तियों के अतिरिक्त ग्राम मझोली तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0 280/1–0.37 एकड, 280/2–0.50 एकड अबादी, 281–0.09 एकड, 282–1.42 एकड, 283–0.32 एकड, 289/1–0.06 एकड, कुल 6 किते रकबा 2.76 एकड धरती के स्वामी, अधिकारी व काबिज थे उसमे से कुछ धरती अबादी की धरती है व कुछ धरती कृषि भूमि है। हम मुकिरान के पिता स्व0 रामकृपाल जी का 1973 में देहान्त हो गया और उनके देहान्त के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में उनकी छोडी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार हम मुकिरान सहित स्व0 रामकृपाल जी की अन्य पुत्री श्रीमति चित्रा गिल पत्नी श्री हरजिन्दर सिंह गिल ने स्व0 राम

Adarsh

Prabha

Veena Rastogi

Manju Bhalla

क्रमशः– 2

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

सत्यमेव जयते

कृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति में कोई भाग लेना स्वीकार नहीं किया। परन्तु हम मुकिरान को जानकारी हुई है कि हम मुकिरान के पिता द्वारा छोडी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई विवाद चल रहा है जिसके सम्बन्ध में एक सिविल अपील सं0 39/2010 श्री नवीन कुमार बनाम श्री उमेश कुमार आदि श्री जिला जज महोदय, मुरादाबाद के न्यायालय में लम्बित है जिसके सम्बन्ध में हम मुकिरान की ओर से भी पैरवी करने की आवश्यकता आ गई है परन्तु हम मुकिरान का उक्त अपील में स्वयं पैरवी करना सम्भव नही है क्योकि हम मुकिरान मुरादाबाद से बाहर भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहती हैं इसके अतिरिक्त हम मुकिरान का स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नही है अतः हम मुकिरान खूब सोच समझकर बिना किसी व्यक्ति के बहकाये अथवा सिखायें अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपने सगे भतीजे समीर रस्तौगी पुत्र नवीन कुमार रस्तौगी जी निवासी सम्भली गेट मुरादाबाद को अपना मुख्तारेखास नियुक्त करती हैं और उनको अधिकार देती हैं कि स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में लम्बित या प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी वाद में हमारी ओर से अपने हस्ताक्षरों द्वारा कोई एडवोकेट नियुक्त करे कोई वाद पत्र प्रतिवाद पत्र, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र, रैप्लीकेशन अपील, रिवीजन, याचिका निष्पादन प्रार्थना पत्र समझौतानामा योजित व सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें किसी एडवोकेट को नियुक्त करे या हटावे। कोई पत्र या कोई साक्ष्य किसी न्यायालय या कार्यालय में जमा करे या उसे वापिस ले किसी भी कार्यालय या न्यायालय में जो भी कार्यवाही हमारी ओर से करनी आवश्यक समझे करें। हमारे उक्त मुख्तारे खास द्वारा की गई समस्त कार्यवाही हम मुकिरान द्वारा की हुई मानी जावेगी और हम मुकिरान उसके बाध्य रहेंगी।

अतः यह लेख पत्र मुख्तारनामा खास के रूप में लिख दिया ताकि प्रमाण रहें और आवश्यकता पडने पर काम आवे।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
Adarsh	Prabha	Veena Rostogi	Manju Bhalla

ATTESTED
N. S. TYAGI
Advocate/Notary

ATTESTED
N.S. TYAGI
Advocate/Notary
Distt. Moradabad

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH AK 386442

मुख्तारनामा खास

जो कि मैं श्रीमति चित्रा गिल पत्नी श्री हरजिन्दर सिंह गिल पुत्री स्व0 रामकृपाल जी निवासिनी दोहा, कतर की हूँ। मैं मुकिरा के पिता स्व0 राम कृपाल जी मुरादाबाद में ही स्थित अन्य सम्पत्तियों के अतिरिक्त ग्राम मझोली तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0 280/1–0.37 एकड 280/2–0.50 एकड अबादी 281–0.09 एकड 282–1.42 एकड 283–0.32 एकड व 289/1.0.06 एकड कुल 6 किते रकबा 2.76 एकड धरती के स्वामी, अधिकारी व काबिज थे उसमे से कुछ धरती आबादी की धरती है व कुछ धरती कृषि भूमि है। मैं मुकिरा के पिता स्व0 राम कृपाल जी का 1973 में देहान्त हो गया और उनके देहान्त के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में उनकी छोडी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार मुझ मुकिरा व अन्य बहनों ने स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति में कोई भाग लेना स्वीकार नही किया। मुझे जानकारी हुई है कि मेरे पिता स्व0 राम कृपाल जी द्वारा छोडी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई विवाद चल रहा है जिसके सम्बन्ध में एक सिविल

क्रमशः 2 पर

Chitra Gill

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

(2)

अपील सं0 39/2010 श्री नवीन कुमार बनाम श्री उमेश कुमार आदि श्री जिला जज महोदय, मुरादाबाद के न्यायालय में लम्बित है जिसके सम्बन्ध में मेरी ओर से पैरवी करने की आवश्यकता आ गई है परन्तु मेरा उक्त अपील में स्वयं पैरवी करना सम्भव नहीं है क्योंकि मैं मुरादाबाद से बाहर दूसरे देश में रहती हूँ। मेरा स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नही है अतः मैं खूब सोच समझकर बिना किसी व्यक्ति के बहकाये अथवा सिखायें अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपने सगे भतीजे समीर रस्तौगी पुत्र श्री नवीन कुमार रस्तौगी निवासी सम्भली गेट मुरादाबाद को अपना मुख्तारेखास नियुक्त करती हूँ और उनको अधिकार देती हूँ कि मेरे पिता स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में लम्बित या प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी वाद में मेरी ओर से अपने हस्ताक्षरो द्वारा कोई एडवोकेट नियुक्त करे कोई वाद पत्र,प्रतिवाद पत्र, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र, ऐप्लीकेशन अपील, रिवीजन, याचिका निष्पादन प्रार्थना पत्र समझौतानामा योजित व सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। किसी एडवोकेट को नियुक्त करे या हटावे। कोई पत्र या कोई साक्ष्य किसी न्यायालय या कार्यालय में जमा करे या उसे वापिस ले किसी भी कार्यालय या न्यायालय में जो भी कार्यवाही मेरी ओर से करनी आवश्यक समझे करें। मेरे उक्त मुख्तारे खास द्वारा की गई समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा की हुई मानी जावेगी और मै उसकी बाध्य रहूँगी।

अतः यह लेख पत्र मुख्तारनामा खास के रूप में लिख दिया ताकि प्रमाण रहें और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

The Embassy of India does not accept any responsibility for the contents of this document.

हस्ताक्षर

गवाह

PASSPORT NO
E-3082976
D.O.I : 10.4.2003
ISSUED AT DOHA-QATAR
V.U. 09/4/2013

Chitra

गवाह भारत का राजदूतावास दोहा (कतर)
Embassy of India, Doha (Qatar)
सं० दिनांक
No. CL/63/2010 Date 27.12.10
मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये
Signed in my presence.

Chitra gupta

Brahmdev Tyagi
[BRAHMDEV TYAGI]
Attache (Consular)
Embassy of India
Doha (Qatar)

65
15/9/23

न्यायालय स्पेशल जज [illegible]
मुरादाबाद।
अपर सिविल जज (सि०डि०)
मुरादाबाद

EA No 39/2010

नवीन कुमार v/s उमेश कुमार

नकल प्रा० पत्र दि० 29/8/2011

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

5 ct 2 1002

65
75/2023

...प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के दिनांक...
...तैयार का दिनांक...... 19 SEP 2023
...देने का दिनांक...... 19 SEP 2023
...प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर......

365
65 ख

न्यायालय श्री स्पेशल जज महोदय मुरादाबाद

सिविल अपील सं0 37/2010

श्री नवीन कुमार बनाम श्री उमेश कुमारआदि

श्रीमन्,

उपरोक्त अपील में प्रतिवादी सं0- 6 से 10, की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु टाइपिस्ट की भूल से उक्त प्रतिवादपत्रमें प्रार्थीगण ने अपने हस्ताक्षर नहीं किये है परन्तु प्रार्थीगण उपरोक्त प्रतिवादीगण सं0-6 से 10 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रतिवादपत्र को एडआप्ट (adopt) करते है।

सविनय प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं0- 6 से 10 की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादपत्र को प्रार्थीगण द्वारा Adopt किये जाने के कारण उक्त प्रतिवादपत्र प्रार्थीगण की ओर से भी पढ़े जाने का आदेश किया जाये।

श्रीमन की महती कृपा होगी।

प्रार्थीगण

दि0- 29/8/11

श्रीमती रूबी रस्तोगी आदि

Ruby Rastogi -प्रतिवादीगण, 11, 12, 13, 14

द्वारा- Vipul Kumar Rali Monica

श्री सुधीर कुमार धावन एडवोकेट

Advocate

New copy
29/8/11

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

25.8.2011

Photo Stitt Bdy. ...
Compared by. महेश कुमार
W.P. 70

प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद
19.8.2022

1. 23/25.5.23

न्यायालय सिविल जज (सि० डि०) मुरादाबाद

O.S. No. 762/07

EA 39/10

प्रवीन कुमार

V/s

उमेश कुमार

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

दिनांक 7/9/2011

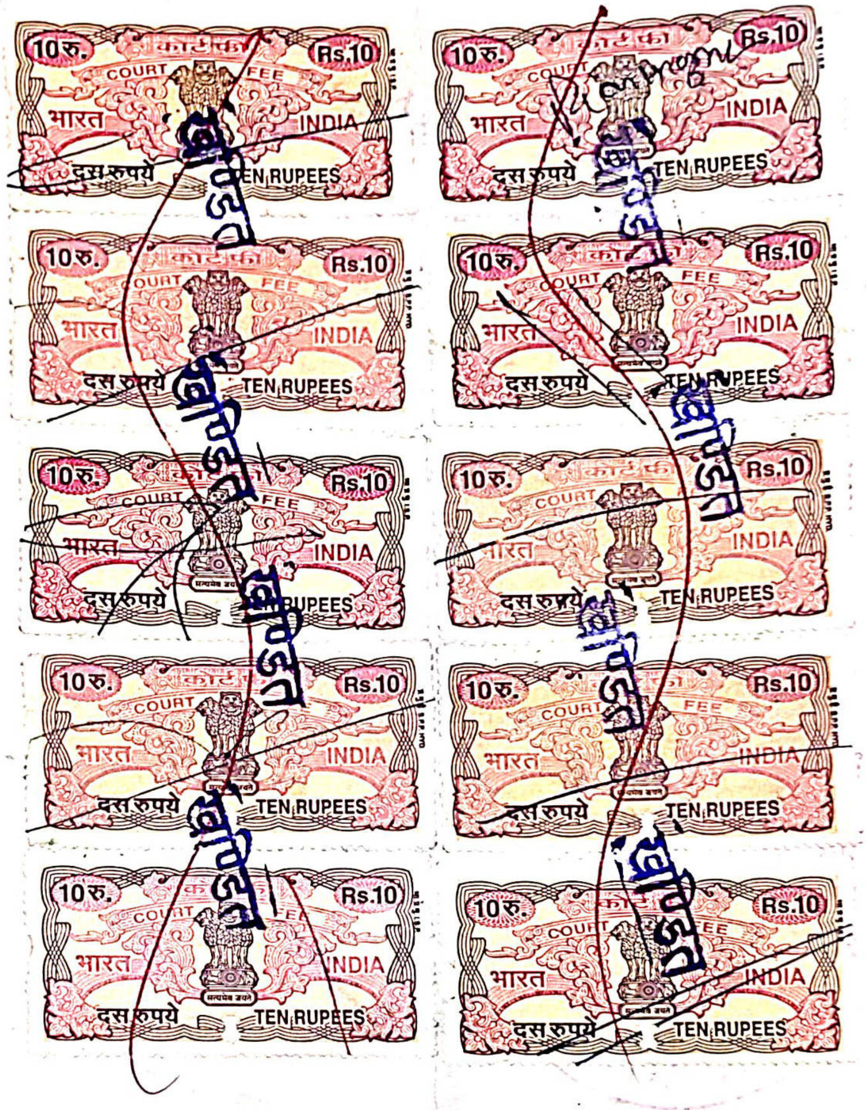

33
25/0941

10×10=100

... का दिनांक 09 OCT 2023
... देने का दिनांक 09 OCT 2023
... करने वाले के हस्ताक्षर

न्यायाο लोकअदालत जज मुरादाबाद
न्यायालय सि०जज (जू०डि०) मुरादाबाद
OS No 762/07
LA 39/10

7.9.2011

Case called out Parties are present with their learned counsels 37 Ka Compromise filed by parties identified by their learned counsel. 37 Ka Compromise is allowed. Case is decided in terms of compromise 37 Ka. 37 Ka compromise shall form part decree.

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

Photo Stated By, reis
Counsel By - महेश कुमार

LA 70/

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद
20-10-2023